# दिल्ली व अजराड़ा घराने के कायदों का तुलनात्मक अध्ययन

दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी)

दयालबाग, आगरा से संगीत में पीएच.डी.

की उपाधि हेतु शोध–प्रबन्ध

की रूपरेखा

2017


शोध निर्देशिका
प्रोफेसर नीलू शर्मा

शोधार्थिनी
खुशबू

विभागाध्यक्षा
प्रो0 सुभद्रा कुमारी सत्संगी

कला संकाय प्रमुख
प्रो0 रागिनी रॉय

कला संकाय
दयालबाग एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट (डीम्ड यूनिवर्सिटी)
दयालबाग आगरा– 282005

# भूमिका

भारतीय संगीत में अवनद्ध वाद्य की श्रेणी में तबला वाद्य को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। तबला वर्तमान में एक सर्वाधिक प्रचलित, उपयोगी, उन्नत और श्रेष्ठ लोकप्रिय वाद्य है, जिसका प्रयोग भारतीय संगीत की कलात्मक विधाओं में होता है। इस वाद्य का स्वतन्त्र साहित्य, बोल बंदिशें व विशिष्ट वादन शैली है, जिसके फलस्वरुप यह समस्त चर्म वाद्यों में अग्रणी व उन्नत अवस्था को प्राप्त कर पाया है। तबला वाद्य सर्वाधिक विकसित वादन–सामग्री के साथ–साथ तबले के स्वतन्त्र वादन का भी अपना एक विस्तृत क्षेत्र विभिन्न घरानों की परम्पराओं के साथ उपलब्ध है।[1]

तबले में घरानों का सूत्रपात लगभग सत्रहवीं–अठाहरवीं शताब्दी में हुआ।[2] सर्वप्रथम तबला वादन के क्षेत्र में दिल्ली घराना आदि घराने के रुप में विकसित हुआ। धीरे–धीरे क्षेत्र विशेष व अपनी वादन विशेषताओं के प्रदर्शन हेतु कलाकारों ने स्वपरम्परा का निर्माण किया। इन कलाकारों के पास विद्या का भण्डार, रचनाओं की विविधता, दीर्घ साधना का तेज, कला के प्रति समर्पण की निष्ठा तथा अपने घराने की विशेषताओं को अक्षुण्ण रखने का प्रयास अप्रतिम और वंदनीय था। फलस्वरुप दिल्ली घराने से विकसित होता हुआ यह वाद्य विस्तार प्राप्त करता गया, जिसे आज अजराड़ा, लखनऊ, बनारस, फरुर्खाबाद, व पंजाब घराने के रुप में जाना जाता है।[3]

प्रत्येक घराने में बन्दिशों को बजाने का तरीका, हस्त संचालन पृथक–पृथक है अतः प्रत्येक घराने की अपनी एक अलग वादन शैली है जिसे "बाज" कहते हैं। बाज के अन्तर्गत मुख्य दो बाजों को प्रमुख माना गया है जिसके आधार पर तबला वादन के दो भेद माने जाते हैं जिन्हें क्रमशः पश्चिम बाज व पूरब बाज कहा जाता है, यदि मोटे तौर पर देखें तो पश्चिम बाज किनार और चाँटी प्रधान होता है और पूरब बाज खुले बोलों का बाज कहलाता है। पश्चिम बाज के अन्तर्गत दिल्ली व अजराड़ा बाज आते हैं वहीं पूरब बाज के अन्तर्गत लखनऊ, फरुर्खाबाद व बनारस को माना जाता है, पंजाब बाज स्वतंत्र बाज माना जाता है।[4]

तबला वाद्य के घरानों की वादन शैली का प्रस्तुतीकरण विशेष रुप से बंदिशों के माध्यम से किया जाता है। **"बन्दिश"** का शाब्दिक अर्थ है– **'बाँधना'** एवं 'कार्य योजना' अर्थात् **Precautionary**

**Measure** या **To Plan Before Hand** भी कहते हैं। तबला वादन के प्रस्तुतीकरण के विषय को बन्दिश कहते हैं। साधारण अर्थों में किसी भी रचना को ताल शास्त्र के अनुरुप बाँधना बन्दिश कहलाता है।[5]

विभिन्न घरानों के माध्यम से प्रचलित रचनाओं को परम्परागत बन्दिशें भी कहा जाता है। यह बन्दिशें ही इस वाद्य का मूल आधार व वादन स्वरुप हैं। इन बन्दिशों को विधिवत् रुप में प्रस्तुत करने में ही इस वाद्य का मूल निहित है इसीलिये बन्दिशों की उपलब्धता एवं सीखने व आत्मसात करने की प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी अनवरत चली आ रही है। तबले की वादन सामग्री के रुप में पेशकार, कायदा, रेला, लग्गी, मुखड़ा, मोहरा, टुकड़ा, गत, तिहाई, चक्करदार, परन इत्यादि अनेक वादन प्रकार उपलब्ध हैं जिनको दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है –

(1) विस्तारशील वादन प्रकार ।

(2) अविस्तारशील वादन प्रकार।

विस्तारशील वादन प्रकार के अन्तर्गत वे बन्दिशें सम्मिलित हैं जिनके मूल स्वरुप के वादन के पश्चात् उसका विस्तार किया जाता है तथा तिहाई के साथ सम्पन्न किया जाता है, ये बन्दिशें ताल की प्रथम मात्रा से आरम्भ होकर अन्तिम मात्रा पर समाप्त होती हैं। इन बन्दिशों के वर्ग में कायदा, पेशकार व रेला आते हैं । अविस्तारशील वादन प्रकार के अन्तर्गत वे बन्दिशें सम्मिलित हैं, जिनका विस्तार नहीं किया जा सकता तथा अविस्तारशील बन्दिशें ताल की किसी भी मात्रा से प्रारम्भ कर बजाई जा सकती हैं व इस वर्ग की बन्दिशों का मुख्य उद्देश्य आकर्षक ढंग से सम पर पँहुचना होता है। अतः इस वर्ग के अन्तर्गत–टुकड़ा, परन, तिहाई, गत, मोहरा, मुखड़ा, उठान इत्यादि वादन प्रकार आते हैं।

तबला वादन के क्षेत्र में कायदा अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तबला वादन के क्षेत्र में कायदा विस्तारशील बन्दिशों के वर्ग में रखा जाता है क्योंकि ये एक विस्तारयोग्य बन्दिश है, जिसका वादन प्रस्तार व तिहाई के साथ सम्पन्न होता है कायदे में किसी भी घराने की सम्पूर्ण विशेषताएँ निहित होती हैं। दिल्ली व अजराड़ा घराने में कायदा व उसकी विभिन्न जातियों में वादन वैशिष्ट्य दृष्टिगत होता है।[6]

कायदा का अर्थ है –''पद्धति''। किसी भी कार्य को करने का ढंग या सलीका । अंग्रेजी में इसके लिए Method शब्द का प्रयोग होता है, कायदा का महत्व प्रत्येक क्षेत्र में होता है। विद्यार्थियों को कायदे की शिक्षा हाथ के रख–रखाव और बोलों के निकास के लिए दी जाती है। तबला वादन के क्षेत्र में कायदा उस रचना को कहते हैं जिसकी गणना तबले के महत्वपूर्ण बोलों में होती है। जिसमें ताल के नियम जैसे – मात्रा, अंग, क्रियाएँ, ताल का चलन इत्यादि सम्मिलित होता है, कायदा कहलाती है। प्रत्येक घराने के अन्तर्गत कायदा की वादन शैली भिन्न–भिन्न होती है अतः भिन्न–भिन्न विशेषताएँ लिए होता है।[7]

दिल्ली घराना तबला वादन के क्षेत्र में प्रथम व महत्वपूर्ण घराना माना जाता है। दिल्ली घराने की नींव सिद्धार खाँ के द्वारा पड़ी। उस्ताद सिद्धार खाँ ने तबले पर पाट व वर्ण विधि को स्पष्ट किया व तबला वादन में भिन्न–भिन्न तरीकों (ठेका, कायदा) इत्यादि का विकास किया। उस्ताद सिद्धार खाँ ने  हाथ का रख–रखाव एवं चाँटी प्रधान बोलों की रचनाओं को विकसित कर श्रृंगारिक रुप प्रदान किया जोकि दिल्ली घराने की प्रमुख विशेषता है।  इस घराने के कायदों में चाँटी प्रधान बोलों का प्रयोग, तिटतिट, तिरकिट इत्यादि मुलायम बोलों का बहुतायत से प्रयोग इत्यादि स्पष्ट रुप से दृष्टिगोचर होता है।[8]

तबला वादन में अजराड़ा घराने को भी दिल्ली घराना की एक शाखा के रुप में विकसित हुआ माना जाता है। इस घराने में भी दिल्ली घराने की सभी विशेषताएँ कहीं न कहीं परिलक्षित होती हैं। इस घराने के प्रवर्तक जोकि कल्लू खाँ और मीरु खाँ हैं, जिन्होंने दिल्ली घराने के उस्ताद सिताब खाँ से तबले की शिक्षा प्राप्त की तथा अजराड़ा में जाकर परम्परागत वादन शैली में विभिन्न परिवर्तन किये, इन कारणों से अजराड़ा घराना पृथक घराने के रुप में विकसित हुआ। अजराड़ा घराने में दिल्ली घराने के बन्द बोल व किनार के वादन–शैली की सभी विशेषताएँ व भिन्नताएँ थीं। छंद प्रयोग, जातिगत आधार, बाएँ का मींड़युक्त प्रयोग, मध्यमा,तर्जनी के अलावा अनामिका का प्रयोग, इत्यादि ऐसे बिन्दु हैं जो अजराड़ा घराने को दिल्ली घराने से भिन्न बनाते हैं।[9] इन सभी भिन्नताओं के कारण दोनों घराने पश्चिम बाज के होते हुए भी अपनी एक पृथक छाप छोड़ते हैं तथा तबला वादन के क्षेत्र में मुकाम हासिल किये हुए हैं ।

चूँकि शोधछात्रा तबले की विद्यार्थी है व दिल्ली व अजराड़ा घराने व उसकी वादन शैली से प्रभावित है। अतः शोधछात्रा को दिल्ली घराना व उसकी वादन शैली को जानने की प्रबल जिज्ञासा है, जिसके सम्बन्ध में तत्सम्बन्धी साहित्य का सर्वेक्षण किया जिससे निम्न जानकारी प्राप्त हुई जो इस प्रकार है–

## सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण –

### पुस्तकें:–

(1) तबला वादन की विस्तारशील बन्दिशें (पेशकार,कायदा एवं रेले के विशिष्ट संदर्भ में)– पटेल, जमुना प्रसाद ।

(2) तबले का उद्‌गम एवं दिल्ली घराना (प्राचीन बंदिशों का संचयन ) – डॉ0 कुमार, ऋषितोष।

(3) तबला–वादन–कला और शास्त्र– माइंडकर, श्री सुधीर ।

### पत्रिकाएँ : –

(1) वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तबला वादन की पारम्परिक बंदिशें : महत्व एवं आवश्यकता –शर्मा, डॉ0 नीलू–संगीत कला विहार, जनवरी –2013।

(2) तबला के दिल्ली घराने की विशेषता–पटेल, डॉ0 जमुना प्रसाद–संगीत, अप्रैल–2013।

(3) तबला वादन की विस्तारशील रचनाएँ– मिश्र, पं0 विजयशंकर–संगीत कला विहार, दिसम्बर–2012।

(4) कायदा, दिल्लीबाज, तीनताल– वशिष्ट, प्रभातकुमार– संगीत, मार्च–1991।

(5) दिल्ली घराना व उसकी विशेषताएँ– मिश्र,डॉ0 रमेशकुमार मार्च–2006 ।

(6) कायदे के रचना सिद्धान्त– मराठे, डॉ0 मनोहर भालचन्द्रराव– संगीत, अक्टूबर –2008। (7) दिल्ली एवं अजराड़ा घराने के तबला वादन शैली का तुलनात्मक अध्ययन– डॉ0 अजय व्यं0 अष्टपुत्रे–संगीत कला विहार –जनवरी 2005।

### शोध–प्रबन्ध : –

(1) तबले के बनारस एवं दिल्ली घराने की वादन शैली एवं विशिष्ट रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन– प्रभाकर लाल श्रीवास्तव।

(2) तबला के विभिन्न घरानों का समालोचनात्मक अध्ययन –के0 के0 वर्मा।

(3) दिल्ली घराने की गायकी व उस घराने के गायक, वादकों का संगीत में योगदान– रमेश कुमार –1999।

(4) लखनऊ घराने में तबला वादन की परम्परा का अध्ययन – डॉ0 पूनम सिंह –2000।

(5) The traditional style of tabla playing of Ajrana and Farrukhabad Gharana A comparative study.

**(6)** Ajrana avam Farrukhabad Gharane ki vidhivat tabla vadan Parampara ka tulnatmak adhyayan .

**(7)** Critical studies of kaidas and bants in tabla playing – Dr. K.K. Verma -1996

**(8)** Spread of Baaj and Gharana system of tabla in Calcutta From– 18th- 20th century – Uday Shankar das .

## लघु–शोध–प्रबन्धः–

(1) दिल्ली एवं लखनऊ घराने के कायदों का तुलनात्मक अध्ययन–श्वेता शर्मा।

(2) तबले के दिल्ली घराने की रचनागत विशेषताओं का विवेचनात्मक अध्ययन–मोनिका।

(3) तबले के बनारस घराने के वादन में कायदा और बाँट का विश्लेषणात्मक अध्ययन–रजनी।

(4) दिल्ली घराने की अविस्तारशील बन्दिशों का विश्लेषणात्मक अध्ययन– तमन्ना।

उपरोक्त सर्वेक्षण से प्राप्त विवरणों से जो तथ्य सामने आए वह इस प्रकार हैं –

- उपरोक्त पुस्तकों में विस्तारशील बन्दिशों व दिल्ली घराने पर प्रकाश डाला गया है परन्तु दिल्ली के कायदों की अन्य घराने के कायदों के साथ तुलना नहीं बताई गयी है।
- पत्रिकाओं में दिल्ली घराने की वादन शैली व बन्दिशों के सन्दर्भ में लेख प्रकाशित हैं परन्तु दिल्ली के कायदों को पूर्ण रुप से स्पष्ट नहीं किया गया है।
- शोध प्रबन्ध व लघु शोध प्रबन्ध के अन्तर्गत दिल्ली घराने की वादन शैली व अन्य घरानों (लखनऊ, बनारस, आदि) के साथ तुलना की गयी है।
- शोध प्रबन्ध में अजराड़ा घराने का फर्रुखाबाद घराने के साथ तुलनात्मक अध्ययन किया गया है परन्तु दिल्ली व अजराड़ा के कायदों की तुलना के सन्दर्भ में कोई कार्य प्रकाश में नहीं आया है।

अतः उपरोक्त निष्कर्षों से प्राप्त होता है कि दिल्ली व अजराड़ा घराने के कायदे व उसके तुलनात्मक अध्ययन से सम्बन्धित कार्य अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। अतः शोधार्थिनी द्वारा किया गया कार्य नवीन व मौलिक होगा।

अतः दिल्ली व अजराड़ा घराने के कायदों में समानता व असमानता को जानने हेतु शोधछात्रा ने प्रस्तुत विषय को चयनित किया है ।

**विषय कथन :–** "दिल्ली व अजराड़ा घराने के कायदों का तुलनात्मक अध्ययन"।

**अध्ययन उद्देश्यः–**

- तबला वादन में दिल्ली व अजराड़ा घराने की वादन शैली का अध्ययन करना।
- तबला वादन में कायदा का अर्थ, प्रकार व महत्व का अध्ययन करना ।
- दिल्ली घराने के कायदों का अध्ययन करना ।
- अजराड़ा घराने के कायदों का अध्ययन करना।
- दिल्ली व अजराड़ा घराने के कायदों का तुलनात्मक अध्ययन करना ।

**परिसीमांकन :–** प्रस्तुत शोध कार्य की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत शोध कार्य दिल्ली व अजराड़ा घराने के (20–20) कायदों व उसके तुलनात्मक अध्ययन तक सीमित रहेगा ।

**अध्ययन विधि : –** सर्वेक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, निरीक्षण विधि व सामग्री, सहपाठियों इत्यादि की सहायता से सम्पन्न किया जाएगा।

**उपकरण एवं अध्ययन के स्त्रोत–** प्रस्तुत शोध पुस्तकालय, विभिन्न पुस्तकों, इण्टरनेट (अन्तरजाल), गुणीजनों, पत्र–पत्रिकाओं, श्रव्य–दृश्य सामग्री, टेप–रिकार्डर इत्यादि के माध्यम से सम्पन्न किया जाएगा।

**अध्यायों की रुपरेखा : –**

**भूमिका**

**प्रथम अध्याय :–** सम्बन्धित साहित्य का सर्वेक्षण ।

**द्वितीय अध्यायः –** तबला : वादन प्रकार

- ❖ विस्तारशील वादन प्रकार ।
- ❖ अविस्तारशील वादन प्रकार ।

**तृतीय अध्याय :–** तबला वादन में कायदा : अर्थ, प्रकार व महत्व ।

**चतुर्थ अध्याय : –** तबला वादन में दिल्ली व अजराड़ा घराना : वादन शैली ।

**पंचम अध्याय : –** दिल्ली घराना : कायदे व उसका प्रतिलेखन ।

**षष्ठम् अध्याय : –** अजराड़ा घराना : कायदे व उसका प्रतिलेखन ।

**सप्तम् अध्याय : –** दिल्ली व अजराड़ा घराने के कायदों का तुलनात्मक अध्ययन ।

**उपसंहार**

**सन्दर्भ सूची :–**

1. शुक्ल, योगमाया – तबले का उद्‌गम विकास और वादन शैलियाँ – पृ0सं0–79।
2. डॉ0 सुदर्शन राम – तबला के घराने वादन शैलीयाँ एवं बन्दिशें – पृ0सं0–11।
3. डॉ0 आवान ई. मिस्त्री –पखावज और तबला के घराने एवं परम्पराएँ– पृ0सं0–125।

4. शुक्ल, योगमाया– तबले का उद्गम विकास और वादन शैलियाँ – पृ0सं0– 183।
5. शर्मा , डॉ0 नीलू – वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तबला वादन की पारम्परिक बंदिशें :महत्व एवं आवश्यकता – संगीत कला विहार, जनवरी –2013 – पृ0सं0 –14।
6 . पटेल, जमुना प्रसाद तबला वादन की विस्तारशील रचनाएँ (पेशकार, कायदा, एवं रेले के सन्दर्भ में ) – पृ0सं0 –246,261
7. गुरुनाथ शिवपुरी – लय शास्त्र – पृ0सं0 –44
8. मराठे, डॉ0 मनोहर भालचन्द्रराव मराठे – पृ0सं0–125
9. मराठे, डॉ0 मनोहर भालचन्द्रराव मराठे – पृ0सं0–126

## सन्दर्भ ग्रन्थ सूचीः–

1. शर्मा, भगवत शरण–ताल प्रकाश–संगीत कार्यालय, हाथरस, जनवरी –2002।
2. शुक्ल योगमाया– तबले का उद्गम विकास एवं वादन शैलियाँ– हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय दिल्ली विश्वविद्यालय , दिल्ली –1987।
3. पटेल ,जमुना प्रसाद– तबला वादन की विस्तारशील रचनाएँ (पेशकार, कायदा, एवं रेले के सन्दर्भ में )– कनिष्क पब्लिशर्स, नई दिल्ली–2011
4. सेन, अरुण कुमार भारतीय तालों का शास्त्रीय विवेचन –मध्य प्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, 1989।
5. मिस्त्री, डॉ0 आवान ई –पखावज और तबला के घराने एवं परम्पराएँ– पं0 केकी जिजिना, स्वर साधना समिति, मुम्बई ,1984।
6. मराठे, डॉ0 मनोहर भालचन्द्रराव मराठे – ताल वाद्य शास्त्र–शर्मा पुस्तक सदन पाटनकर बाजार, लश्कर ग्वालियर (म. प्र.)– तृतीय संस्करण ।

## पत्रिकाएँ –

1. शर्मा , डॉ0 नीलू –वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तबला वादन की पारम्परिक बंदिशें :महत्व एवं आवश्यकता – संगीत कला विहार,जनवरी 2013
2. पटेल, डॉ0 जमुना प्रसाद– तबला के दिल्ली घराने की विशेषता– –संगीत, अप्रेल–2013।
3. मिश्र, पं0 विजयशंकर –तबला वादन की विस्तारशील रचनाएँ– –संगीत कला विहार, दिसम्बर–2012।